

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

प्रार्थी मोहन विपक्षी विक्रम
किस्म मुकदमा 212 2720 पत्रावली संख्या 51/22 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर सूचनाएं जा
	<p><u>10/4/23</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर डिप्टी किया जा चुका है। अतः मूल वाद फैसल होने से उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से अब इस प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं रहने से इस पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय शुद्धे - न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलेक्टर
(S.D.O) मावली

